संख्या- 452/एक-10-2026

प्रेषक,

अरूण प्रकाश,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फर्रूखाबाद।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 24 अप्रैल, 2026

विषयः मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-21164/2022 श्रीमती सरिता सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-24/सी0आर0ए0/कोविड़-19/2026-27 दिनांक 22, अप्रैल 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित अवमाननावाद सं0- 3562/2024 श्रीमती सरिता सिंह बनाम डा0 विजय कुमार सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद में पारित आदेश दिनांक 17.04.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में मार्गदर्शन एवं बजट आवंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका सं0-21164/2022 श्रीमती सरिता सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.12.2023 का कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

> We are of the considered opinion that the benefit is to be extended to the petitioner also, whose husband has performed his duties in front line for curbing the pandemic surge. Therefore, the order impugned dated 31.03.2022 cannot sustain and the same is set aside. The writ petition is allowed. The opposite parties are directed to release the ex-gratia payment to the dependents entitled thereto within a period of one month, failing which the claims so allowed shall be made good inclusive of simple interest @ 9% p.m. from the date of judgement upto the date of actual payment."

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2023 के अनुपालन किये जाने के लिए प्रकरण की तात्कालिकता एवं गम्भीरता के दृष्टिगत जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण में याची श्रीमती सरिता सिंह पत्नी स्व0 श्री रनवीर सिंह चौहान, संविदा परिचालक, फर्रूखाबाद डिपो, उ0प्र0 परिवहन निगम, फर्रूखाबाद को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2023 से अनुग्रह धनराशि रू0 50.00 लाख के भुगतान की तिथि 14-08-2025 तक कुल 19 माह 27 दिन पर 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुल धनराशि रू0 7,46,250.00 याची

श्रीमती सरिता सिंह पत्नी स्व० श्री रनवीर सिंह चौहान को प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रू० 7,46,250.00 (रू० सात लाख छियालीस हजार दो सौ पचास मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। स्वीकृति धनराशि नियमानुसार व्यय करने हेतु आवंटित की जा रही है।

2. स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी, अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने की शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता हैं) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये। आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये, आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि के प्रयोग /उपभोग/ समर्पण/ वितरण के समबन्ध में जारी सुसंगत शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता/ लापरवाही बरती जाती है तो इसके लिए जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

4. स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2/1-11-2013-10-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन दिनांक 31 मार्च, 2027 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाय।

5. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र तीन हस्त पुस्तिक खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

6. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

7. प्रश्नगत प्रकरण में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त भुगतान मा० न्यायालय के आदेशों के क्रम में विशेष परिस्थिति में किया जा रहा है, इसको दृष्टान्त नहीं बनाया जायेगा ।

8. जिलाधिकारी द्वारा अनुग्रह राशि के भुगतान में हुए विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ब्याज की धनराशि के बराबर की धनराशि की वसूली किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रू0 7,46,250.00 (रू0 सात लाख छियालीस हजार दो सौ पचास मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदा से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरूण प्रकाश)
विशेष सचिव।

संख्या- 452(1)/एक-10-2026, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
4- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
7- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अरूण प्रकाश)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-25/04/2026

प्रेषण संख्या:- 452
आवंटन आदेश संख्या:- 001-452
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (राज्यांश)
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	फर्रुखाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	746250 18330250	746250 18330250
	योग	वर्तमान प्रगामी	746250 18330250	746250 18330250

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सात लाख छियालीस हजार दो सौ पचास
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ तिरासी लाख तीस हजार दो सौ पचास

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी